संख्या- 15/20171601/बयालिस-2017-36(बजट)/2015

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 26 अगस्त, 2017**

विषय :- वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 635/नि0 स्पो0का0 गोरख0 ड्रेनेज पत्रा0/2017-18, दिनांक 14 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण हेतु उ0प्र विधायन एवं निर्माण संघ लि0 (पैकफेड) द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के परीक्षणोपरान्त पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 636.62 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष- 2016-17 में शासनादेश संख्या- 1435/बयालिस-2016-36(बजट)/2015, दिनांक 02 जनवरी, 2017 द्वारा धनराशि रू0 50.00 लाख अवमुक्त करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष- 2017-18 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) निर्गत करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- प्रायोजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र विधायन एवं निर्माण संघ लि0 (पैकफेड) को उपलब्ध करायी जायेगी। जिसका उपयोग निर्माण इकाई द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए नियमानुसार/आवश्यकतानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल की होगी तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगें कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जायें।

(3)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य की सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(4)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(5)- नियमानुसार लेबर सेस का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- आगणन में प्रस्तावित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(7)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल एंव कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8)- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9)- ड्रेनेज सिस्टम को कालेज के बाहर सार्वजनिक, नेचुरल अथवा बनाये हुए ड्रेन से सही ढ़ाल (GRADIENT) पर जोडने की जिम्मेदारी भी कार्यदायी संस्था की होगी, जिससे कि बैकफ्लो (BACKFLOW) की समस्या भी न हो।

2- शासनादेश संख्या- 1435/बयालिस-2016-36(बजट)/2015, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

3- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2017-18 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-61-वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर-6103-ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी0-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1601/बयालिस-2017-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2)- माहलेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
(5)- प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर।
(6)- सचिव, प्रबन्ध समिति, उ0प्र0 स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ।
(7)- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायक एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) गोमतीनगर, लखनऊ।
(8)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(9)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(10)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in